न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 121/2012
जी.सी.एम.एस. नं.: 2012/00060

1. बचन सिंह उर्फ गुरबचन सिंह पुत्र करमा जाति बावरी निवासी 3 के.एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

—: **वादी**

बनाम

1. कम्मो पुत्री बुधराम पत्नी सुरजनराम जाति बावरी निवासी सुखचैनपुरा तहसील जिला श्रीविजयनगर
2. गुरदयालो पुत्री बुधराम जाति बावरी निवासी 6 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. मिन्यो पुत्री बुधराम निवासी हरनामेवाली ढाणी जैतसर, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—: **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. **श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता वादी**
2. **श्री लाजपतराय, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 3**
3. **राजपैरोकार**

—:: **निर्णय** ::—

दिनांक : 20.02.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 92ए के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खाता में कृषि भूमि वाके चक 5पी.टी.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.न. 30पन. 239/365, 238/365, 239/366 का 12.902 है. भूमि में वादी का 408—1/13 हिस्सा भूमि एंव 50—10/13हि. भूमि रूलिया से खरीदशुदा है कुल 458—10/13हिस्सा भूमि दर्ज है एंव प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम से 50—10/13 हिस्सा भूमि दर्ज है भूमि में प्रतिवादीगण सं 1 ता 3 के नाम से दर्ज भूमि उनके नाम से विरासत के द्वारा दर्ज हुई है जो कि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज शुदा भूमि की पूर्व मालिक वीरो बेवा बुधराम जो प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की माता थी की घरेलू आवश्यकताओं एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के विवाह आदि के लिए रूपयो की आवश्यकता होने के कारण द्वारा ही अपने जीवन काल में ही उपरोक्त अपनी भूमि वाके चक 5पी.टी डी. का मु.न. 236/366का किन. 13/0.15 [illegible] न. 14, 15 का 2.00 बीघा कुल 2.15 बीघा भूमि को [illegible] समस्त प्रतिफल प्राप्त कर बैयनामा उपरोक्त भूमि का दिनांक 20.05.1[illegible] के द्वारा वादी के प[illegible] उपपंजीयक अनूपगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध करवा दिया गया। वादी ने समस्त तयशुदा प्रतिफल अदा कर बैयनामा अपने नाम से पंजीबद्ध करवा लिया

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:52:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

और विधि एवं प्रकिया की अज्ञानता के कारण वादी ने उक्त बैयनामा को लेकर अपने विधिपूर्ण कब्जा में सुरक्षित रख लिया था जो आज भी वादी के विधिपूर्ण कब्जा में सुरक्षित चली आ रही है एक उपरोक्त विवादित भूमि खरीद के रोज से वादी के कब्जा में चली आ रही है किन्तु वादी को प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण से बैयनामा मुताबिक इन्तकाल अपने नाम से दर्ज नहीं करवाया गया जिस कारण से बाद में उक्त भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम से दर्ज हो गयी किन्तु न तो कभी उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का कब्जा ही रहा है और न ही कभी उनके द्वारा काश्त की गइ है उपरोक्त भूमि पर वादी का विधिपूर्ण कब्जा खरीद के रोज से ही चला आ रहा है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 औरतजात है एंव उनका विवाह कर दिया गया है जो अपने अपने परिवार में उक्त भूमि से काफी दूर निवास कर रही है एंव उपरोक्त भूमि पर वादी का ही साधिकार कब्जा काश्त चला आ रहा है एंव समस्त खातेदारी अधिकार भी मुझ वादी में ही निहित एव औध हो चुके है एव वादी उपरोक्त विवादित भूमि का खातेदार टेनेन्ट है जो कि उपरोक्त भूमि का बैचान का बैयनामा का इन्द्राज रिकार्ड पटवारी में दर्ज नहीं होने से जमाबन्दी में आज भी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम से चली आ रही है जबकी उपरोक्त विवादित भूमि को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के पूर्वजो द्वारा ही वादी को विक्रय कर बैयनामा वादी के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया हुआ है एंव वादी बतौर खरीददार उपरोक्त भूमि पर खरीद रोज से काबिज चला आ रहा है इसलिए वादी विवादित भूमि का स्वंय को खातेदार टेनेन्ट घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है एंव उपरोक्त भूमि को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के स्थान पर अपने नाम से रिकार्ड सरकार में दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है एंव जब तक उपरोक्त प्रविष्टी नहीं होती है तब तक वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी इस अमर की प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है कि प्रतिवादीगण उपरोक्त विवादित भूमि जो जमाबन्दी में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम से दर्ज हो गयी है को किसी प्रकार रहन, विक्रय करने या इस भूमि बाबत अन्य कोई संव्यवहार करने से स्थाई रूप से बाज एंव ममनू रहें। वादी को उपरोक्त तथ्यों की जानकारी होने एंव प्रक्रिया की जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी सं. 4 के समक्ष उपरोक्त बैयनामा प्रस्तुत कर इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को भी मिलकर उनकी माता के द्वारा उक्त भूमि वादी को विक्रय कर बैयनामा पंजीबद्ध करवाना बताते हुए बैयनामा का इन्तकाल दर्ज करवाने में वादी की सहायता करने के लिए कहा तो प्रथमतः प्रतिवादीगण इसके लिए आश्वान देते रहे किन्तु अन्ततः दिनांक 26.03.2012 को जोर देकर प्रतिवादीगण को कहने पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने किसी

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:52:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकार का सहयोग करने से साफ इन्कार कर दिया बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। विवादित रकबा वादी के कब्जा काश्त मे साधिकार शांतिपूर्वक चला आ रहा है जिसे वादी ने अपना समझकर इसमें बने टिल्लो को हटाया व कराहा आदि लगाकर व अन्य अनेक प्रकार के सुधार करके अपना अथाह धन व परिश्रम खर्च कर उक्त भूमि को उपजाउ बनाया है किन्तु अब उपरोक्त भूमि में वादी के द्वारा किये गये सुधारो की बदोलत उक्त भूमि की कीमतो में आशातित वृद्धि हो चुकी है व बम्पर फसल खडी है जिसे देखकर प्रतिवादीगण सं. 1 तास 3 के मन में लालच आ गया है एंव उपरोक्त भूमि जमाबन्दी में अपने नाम से दर्ज होने के कारण से उपरोक्त भूमि से वादी को जबरन बेदखल करने एंव अपने हक व अधिकारो से महरूम करने के लिए उपरोक्त भूमि को खुर्द बुर्द रहन विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर देना चाहते है यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त विधि विरूद्ध कृत्य में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा वादी को उक्त विवादित वादी के साधिकार कब्जा काश्त की भूमि से महरूम व बेदखल होना पडेगा एंव इसमें वादी के द्वारा किये गये सुधारो एंव उन पर खर्च किये गये अथाह धन व परिश्रम भी व्यर्थ हो जावेगा जिससे वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एंव भारी असुविधा होगी वादी को भूमि काश्त करने राजस्व अदा करने, भूमि सुधार करने, व अन्य काश्त कार्यों को करने में व खाला, रास्ता सुविधाओं में बाधा आने से पानी बारी लगाने, खिचाई भराई करने व अन्य अनेक प्रकार की काश्त संबंधी परेशानियों का सामना करना पडेगा एंव पक्षकारो के मध्य विवाद बढेगा मुकदमाबाजी बढेगी खर्च बढेगा धन व समय की बर्बादी होगी इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपरोक्त भूमि को किसी प्रकार विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने से बाज एंव ममनू रहने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। एंव स्वंय को उपरोक्त विवादित भूमि का खातेदारा टेनेन्ट घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। उपरोक्त खाता में अन्य भी हिस्सेदारान सहकाश्तकारान है किन्तु वादी के द्वारा किलावाईज विभाजन नहीं चाहकर मात्र अपनी भूमि का स्वंय को खातेदार टेनेन्ट घोषित करवाने मात्र के लिए एंव स्थाई निषेधाज्ञा जो मात्र प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के विरूद्ध चाही गयी है इसलिए अनावश्यक पक्षकारान से बचने के लिए उन्हे पक्षकारान नहीं बनाया गया है। उनसे कोई अनुतोष वांछित नहीं है। अतः वाद पत्र पेश कर अर्ज है कि वादी सहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे कि वादी के चक 5 पी.टी.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 का खाता सं. 3 में वादी के नाम से दर्जशुदा मु.न.30 पन. 239/365, 238/365, 239/366 का 12.902 है. भूमि में वादी का 408–1/13

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:52:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हिस्सा भूमि एंव 50–10/13हि. भूमि रुलिया से खरीदशुदा है कुल 458–10/13 हिस्सा भूमि के अलावा जरीये रजि. दस्तावेज बैयनामा दिनांक 20.05.1981 के प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की माता से जरीये वैयनामा खरीदशुदा भूमि 5 पी.टी डी. का मु.न. 236/366 का कि.न. 13/0.15 बीघा किला न. 14,15 का 2.00 बीघा कुल 2.15 बीघा भूमि का भी वादी को खातेदार टेनेन्ट घोषित करते हुए प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज 50–10/13 हिस्सा भूमि को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के स्थान पर वादी के नाम से दर्ज करने के आदेश मुताबिक डिकी पारित किये जावे। विवादित भूमि को मुताबिक डिकी जब तक वादी के नाम से दर्ज रिकार्ड नहीं किया जाता है तब तक उपरोक्त विवादित रकबा को किसी प्रकार अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने अथवा कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने व किसी सुविधा को हटाने या बाधित करने से बाज रहने हेतुं स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की माता से घरेलू आवश्यकताओं एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विवाह आदि के लिए रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अपने जीवन काल में ही उपरोक्त भूमि वाके चक 5 पी.टी.डी. का मु.नं. 236/366 का किला नं. 13/0.15 बीघा, किला नं. 14, 15 का 2 बीघा कुल 2.15 बीघा का कोई भी बैयनामा नहीं करवाया है। उक्त रकबा प्रतिवादीगण को उनके पिता बुधराम के वारिसान से प्राप्त हुआ है। बुधराम की मृत्यू के पश्चात् उक्त रकबा में प्रार्थीया की माता समेत प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता था। प्रतिवादीगण की माता वीरो देवी को उक्त रकबा बाबत बैयनामा के कोई भी अधिकार नहीं थे। बल्कि उक्त बैयनामा कूटरचित तैयार किया गया है। भूमि संयुक्त खाता होने के कारण प्रतिवादीगण 1 ता 3 व उसके परिवार के संयुक्त रूप से कब्जा काश्त में चली आ रही है। अब उक्त भूमि के वादी को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त भूमि के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की माता वीरो देवी को भी उक्त भूमि बेचने के कोई अधिकार ही नहीं थे। उक्त बैयनामा शुरू से ही नल एण्ड वोइड की श्रेणी में आता है। उक्त बैयनामा शुरू से ही अप्रभावी है। जिससे वादी को खातेदारी टीनेन्ट घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त रकबा शुरू से ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद है। और जिसका इन्तकाल भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से ही चल रहा है। वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पास कभी भी नही आया

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:52:47 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

है। और ना ही इस बाबत कोई वार्तालाप हुई है। उक्त रकबा जरिये विरास्तन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की माता वीरो देवी का कुल 1/4 हिस्सा ही बनता है। प्रतिवादीगण की माता को उक्त रकबा बैय करने के कोई ही अधिकार ही नही है। तो उक्त रकबा जो प्रतिवादीगण 1 ता 3 की माता वीरो देवी के देहान्त के पश्चात् वीरो देवी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ। उपरोक्त भूमि से वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को औरत जात होने के कारण बेईमानी पूर्वक व ठगी करके उक्त रकबे को हड़प करना चाहता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 औरत जात होने के कारण प्रतिवादीगण के परिवार के द्वारा ही उक्त रकबे की सार सम्भाल की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। बल्कि उक्त रकबे पर प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को ही अपूर्णीय क्षति होगी और विवाद बढ़ेगा। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 उक्त रकबा पर काबिज है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में है। क्यों कि उक्त भूमि में अन्य भी हिस्सेदार व सहकाश्तकारान है व उक्त रकबा का किले वाईज विभाजन भी नही किया गया है। इसलिए उक्त हिस्सा में दुसरे सहकाश्तकार को भी पक्षकार बनाना आवश्यक है। चक 5 पी.टी.डी. का मु.नं. 236/366 का किला नं. 13/0.15 बीघा, किला नं. 14 व 15 का 2 बीघा कुल 2.15 बीघा का कोई खाता विभाजन नहीं हुआ है। अगर उक्त किला नंम्बर का खाता विभाजन हुआ होता और प्रतिवादीगण इसके खातेदार न होकर उक्त रकबा संयुक्त व सहकाश्तकार के साधिकार कब्जा में है। वादी के द्वारा गलत तथ्य पेश कर व जानबूझकर उक्त भूमि का किला नं. 13, 14, 15 दर्शाया गया है। उक्त बैयनामा फर्जी व कूटरचित है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा अस्वीकार फरमाने हेतु निवेदन किया।

3. प्रकरण में निम्नांकित अनुसार तनकीयात कायम की गयी :

1)आया वादी वाग्रस्त भूमि का खातेदार टेनेन्ट घोषित होने का विधिक अधिकारी है ? — वादी

2)आया वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा व वादग्रस्त भूमि वादी के नाम दर्ज होने तक प्राप्त करने क [illegible] अधिकारी है ? — वादी

3)आया वादग्रस्त भूमि बाबत बैयनामा दिनांक 20.05.1981 फर्जी एवं कूटरचित है ? — प्रतिवादी

4)अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:52:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

4. वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र वादी बचन सिंह, शपथ पत्र कर्माराम, शपथ पत्र रतनो का पेश किया। शपथ पत्र बचन सिंह एवं कर्माराम पर ब्यान दर्ज किये जाकर जिरह प्रतिवादी पूर्ण की गयी। वादी के द्वारा दस्तावेज प्रदर्श सं 1 से 13 प्रदर्श करवाये गये। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

5. अधिवक्ता वादी अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि संयुक्त खाता की विवादित भूमि में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज भूमि प्रतिवादीगण की माता के द्वारा वादी को पंजीबद्ध बैयनामा के द्वारा विक्रय की जा चुकी है। बैयनामा का रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण भूमि विरासत आधार पर प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हुई है। विवादित भूमि पर वादी को बैयनामा की रोज से समस्त हक व अधिकार प्राप्त है। वादी को बैयनामा के आधार पर विवादित भूमि का खातेदार घोषित करने की डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण अपनी बहस में जवाब दावा में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि रिकार्ड में प्रतिवादीगण के पिता के नाम से दर्ज थी, जो कि प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है प्रतिवादीगण की माता का भी भूमि में विरासतन 1/4 हिस्सा ही बनता था, प्रतिवादीगण की माता को भूमि बेचने का अधिकार नहीं था इसके अतिरिक्त विवादित भूमि संयुक्त खाता की है जिसका विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए विशेष रूप से किला नं. का अंकन किया जाकर भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता था। तथाकथित बैयनामा कूटरचित है तथा प्रारम्भ से ही शून्य है, जिसके आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वाद पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

6. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :–

तनकी सं. 1 एवं 2 : दोनों तनकीयात वादी के अनुतोष पर आधारित होने तथा एक दूसरी से सम्बद्ध होने के कारण एक साथ निर्णित की जा रही है। इन तनकियों को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी के द्वारा विवादित भूमि चक 5पी.टी डी. का मु.न. 236/366का किन. 13/0.15 बीघा किला न. 14, 15 का 2.00 बीघा कुल 2.15 बीघा प्रतिवादीगण की माता वीरो बेवा बुधराम से जरिए पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 20.05.1981 के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अनुतोष [illegible] वाद पेश किया है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श सं. 1 जमाबंदी संवत 2068–2071 चक 5 पीटीडी खाता सं. 3/6 अनुसार मु.नं. 3[illegible] प.नं. 239/365, 31 प.नं. 238/365 व 39 प.नं. 239/366 की कुल 12.904है. कमाण्ड भूमि वादी व प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:52:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के नाम से अन्य खातेदारान के साथ सहखातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श 2ए बैयनामा वीरो बहक बचन सिंह दिनांक 20.05.1981 के अनुसार वीरो द्वारा चक 5 पीटीडी मु.नं. 239/366 कि.नं. 13, 14, 15 की कुल 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि बचन सिंह को विक्रय की गयी है। प्रदर्श सं. 3 जमाबंदी संवत 2056 में रकबा बुधराम के नाम से 62–10/13 हिस्सा दर्ज है। प्रदर्श सं. 4ए गिरदावरी प्रमाण पत्र दिनांक 27.04.2012, 5ए से 7ए पानी बारी की पर्चीयां है। प्रदर्श 8ए से 12ए रसीदें भू राजस्व जमा करवाने की प्रस्तुत की गयी है। प्रदर्श 13ए छायाप्रति राजीनामा प्रस्तुत की गयी है, राजीनामा में वीरो को कि.नं. 10 में 5 बिस्वा 11 से 15 प्रत्येक 10 बिस्वा कुल 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि बंटवारे में दिए जाना अंकित है। राजीनामा तहसीलदार अनूपगढ़ से तस्दीकशुदा है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा में वीरो देवी के देहान्त हो जाने तथा भूमि विरास्तन प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज होने को स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा भूमि बैयनामा प्रदर्श 2ए के आधार पर प्रतिवादीगण की माता से क्रय किये जाने का कथन किया गया है। बैयनामा का अवलोकन किया गया। बैयनामा में वीरा बेवा बुधराम द्वारा भूमि उनके पति के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज होने कि.नं. 13 से 15 हिस्से में आने और उनके पति के फौत होने तथा उनके वारिस होने का अंकन किया गया है। वादी के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रमाणित होता हो कि बैयनामा के समय दिनांक 20.05.1981 को भूमि विक्रता वीरो पत्नी बुधराम के नाम से रिकार्ड में दर्ज थी। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी अनुसार भूमि बुधराम के नाम से दर्ज थी। वादी बचन सिंह के द्वारा जिरह के दौरान कथन किया है कि बुधराम की मृत्यु सन् 1981 के पूर्व हुई है। बुधराम के 5 वारिसान है। साक्षी कर्माराम द्वारा जिरह के दौरान कथन किया गया है कि राजीनामा (प्रदर्श 13) के अनुसार ईन्तकाल दर्ज नहीं हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण के पिता बुधराम के नाम से रिकार्ड में दर्ज थी जो कि वाद प्रस्तुत किये जाने के समय प्रतिवादीगण के नाम से सह खातेदारी में दर्ज थी। वादी के द्वारा बैयनामा जो कि प्रतिवादीगण की माता वीरो द्वारा किया गया था के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। वादी द्वारा बैयनामा की दिनांक को भूमि वीरो के नाम से रिकार्ड में दर्ज होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। बैयनामा में भी विक्रेता वीरो द्वारा भूमि अपने पति की होने का अंकित किया गया है। प्रस्तुत बंटवारानामा/राजीनामा में तथा बैयनामा में अंकित कि.नं. के रकबा में भी अन्तर है। तथा वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत साक्षी द्वारा राजीनामा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:52:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अनुसार इन्तकाल नहीं होने को स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी को बैयनामा दिनांक 20.05.1981 के आधार पर विवादित भूमि का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। चूंकि वादीगण विवाद्यकों को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है अतः उक्त विवाद्यकों सं. 1 व 2 को विरूद्ध वादी निर्णित किया जाता है।

7. **तनकी सं. 3** : इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः यह तनकी साक्ष्य अभाव के कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

8. **तनकी सं. 4(अनुतोष)** : चूंकि तनकी सं. 1 व 2 को विरूद्ध वादी तथा तनकी सं. 3 को विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। वाद वादी खारिज किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

—: आदेश :—

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:52:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner